बिहार सरकार
उद्योग विभाग (खा0प्र0)

डी0एफ0पी0/विविध (प्रोसेसिंग कार्य–ई0रेडिएशन)–05/2018

पत्रांक :– 270

प्रेषक,

पटना, दिनांक :– 25/03/19

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :– **कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिए एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित इकाई की स्थापना हेतु स्वीकृत राशि ₹ 5083.43 लाख (पचास करोड़ तेरासी लाख तेतालीस हजार रूपये) मात्र के विरूद्ध द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित राशि ₹ 2200.00 लाख (बाईस करोड़ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य में कृषि उत्पादों के संरक्षण/भंडारण के लिए एक ई0 रेडिएशन–सह–पैक हाउस (सामान्य सुविधा केन्द्र) की समेकित इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में **द्वितीय किस्त ₹ 2200.00 लाख (बाईस करोड़ रुपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यादेश संख्या–269, दिनांक 25.03.2019 एवं आवंटनादेश संख्या–5/DI-B(Allotment)-19.02.2018, Order No.-1501, Dated-25.03.2019 के आलोक में मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0163 व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसारण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड–23–2852801020163 विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य मद के अन्तर्गत विकलित होगा।

3– वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 की कंडिका–2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभाग पत्रांक–8244 दिनांक 02.08.2010 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जायेगी।

4– इस राशि के निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होगें जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना के पी0एल0ए0 खाता संख्या–268 में उपलब्ध करायेंगे।

5– इस राशि का ट्रांसफरी बिल कोड–8448001200029 है।

6– इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

7– इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8– इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म–46 पर की जायेगी।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 270 पटना, दिनांक :– 25/03/19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 270 पटना, दिनांक :– 25/03/19

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार पटना/लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :– 270 पटना, दिनांक :– 25/03/19

प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।